

राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार
गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी मानसरोवर में वाणिज्यिक भूखण्ड की

नीलामी स्थल:
बोर्ड कक्ष, मुख्यालय
प्रथम तल, मुख्य भवन
जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर

भव्य खुली नीलामी


नीलामी दिनांक:
मंगलवार
28.06.2016
समय
प्रातः 11.30 बजे

क्र. सं.	खण्ड	भूखण्ड संख्या एवं स्थान	भूखण्ड का माप (मीटर/फिट में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर/ वर्ग गज में)	व्यावसायिक भूमि विकास दर* प्रति (वर्ग मीटर/ वर्ग गज में)	अमानत राशि	न्यूनतम बिड मूल्य प्रति (वर्ग मीटर)
1.	VI, Jaipur	7/ C-02 Zone 74 Shipra Path	63.20X36.00 (207'4"X118'1")	2275.00 (2721.10)	१६०,६७० (१५०७२८)	₹५०.०० Lacs	₹१.४१ Lacs

नोट: क्रम संख्या एक के भूखण्ड पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल, ऊँचाई, एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित जे.डी.ए. विनियम 2010 (यथा संशोधित) के अनुसार वेब होगी। ऊँचाई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अनुमति अनुसार व जे.डी.ए. विनियम के अनुसार जो भी कम हो मान्य होगी।

* प्रभारी व्यावसायिक भूमि विकास दर 30 जून 2016 तक नीलामी हेतु मान्य।

मुख्य विशेषताएं:—गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित वृहद आवासीय कॉलोनी मानसरोवर के मुख्य मार्ग शिप्रा पथ (30.0 मी. चौड़ी) पर स्थित, रिद्धी सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास से 2.0 कि.मी. दूर, मैट्रो स्टेशन मानसरोवर से 4.0 कि.मी. दूर, न्यू सांगानेर रोड (60.0 मी. चौड़ी) से 1.5 कि.मी. दूर, हवाईअड्डा टर्मिनल 2 से 5.0 कि.मी. दूर, दुर्गापुरा (जयपुर) उप नगरीय रेलवे स्टेशन से 5.0 कि.मी. दूर, जयपुर शहर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर स्थित है।



नोट: नियम व शर्तें आवासन मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें एवं/अथवा संबंधित आवासीय अभियंता/उप आवासन आयुक्त के कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-द्वितीय
बी 2 बाईपास एवं
न्यू सांगानेर रोड जंक्शन,
मानसरोवर, जयपुर 302020
फोन: 0141-2782772,
फैक्स 0141-2783089
ईमेल: dhcjr2@rhbmll.in
राज.संवाद/सी/945/2016-17

आवासीय अभियंता,
खण्ड-षष्ठम्
63/5ए, शिप्रा पथ
के पास, मानसरोवर,
जयपुर 302020
फोन: 0141-2782531
मो. 9983309405
ईमेल: rejpr6@rhbmll.in



राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी मानसरोवर में वाणिज्यिक भूखण्ड की

नीलामी स्थल:

बोर्ड कक्ष, मुख्यालय
प्रथम तल, मुख्य भवन
जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर

भव्य खुली नीलामी

नीलामी दिनांक:

मंगलवार

28.06.2016

समय प्रातः 11.30 बजे

क्र. सं.	खण्ड	भूखण्ड संख्या एवं स्थान	भूखण्ड का माप (मीटर/ फिट में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर/ वर्ग गज में)	व्यावसायिक भूमि विकास दर* प्रति (वर्ग मीटर/ वर्ग गज में)	अमानत राशि	न्यूनतम बिड मूल्य प्रति (वर्ग मीटर)
1	VI, Jaipur	7/ C-02 Zone 74 Shipra Path	63.20X36.00 (207'4"X118'1")	2275.00 (2721.10)	₹ 60,670 (₹ 50728)	₹ 50.00 Lacs	₹ 1.41 Lacs

नोट: क्रम संख्या एक के भूखण्ड पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल, ऊंचाई, एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित जे.डी.ए. विनियम 2010 (यथा संशोधित) के अनुसार देय होगी। ऊंचाई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अनुमति अनुसार व जे.डी.ए. विनियम के अनुसार जो भी कम हो मान्य होगी।

* प्रभारी व्यावसायिक भूमि विकास दर 30 जून 2016 तक नीलामी हेतु मान्य।

मुख्य विशेषताएं:- गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित वृहद आवासीय कॉलोनी मानसरोवर के मुख्य मार्ग शिप्रा पथ (30.0 मी. चौड़ी) पर स्थित, रिद्धी सिद्धी चौराहा, गोपाल पुरा बाईपास से 2.0 कि.मी. दूर, मेट्रो स्टेशन मानसरोवर से 4.0 कि.मी. दूर, न्यू सांगानेर रोड (60.0 मी. चौड़ी) से 1.5 कि.मी. दूर, हवाईअड्डा टर्मिनल 2 से 5.0 कि.मी. दूर, दुर्गापुरा (जयपुर) उप नगरीय रेलवे स्टेशन से 5.0 कि.मी. दूर, जयपुर शहर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर स्थित है।


नियम व शर्तें:

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को "सम्पत्ति मूल्य रुपये 10 करोड़ से कम की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य के अनुसार 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख, जो भी कम हो, एवं रुपये 10 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य के अनुसार 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप (डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक) में जमा करानी होगी"।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई अमानत राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है, तो समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. आवंटन पत्रानुसार अनुमोदित उच्चतम बोली दर के अनुरूप सम्पत्ति मूल्य की राशि के अतिरिक्त अन्य विविध व्यय 3.0% की दर से, वार्षिक लीज राशि अग्रिम एक वर्ष, विधिक व्यय, नक्शा शुल्क एवं सेवाकर (वर्तमान में जो 14.0%, 0.5% स्वच्छ भारत उपकर, 0.5% कृषि कल्याण उपकर प्रभावी) देय होंगे।
5. **खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में** स्वीकार होगी, परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
6. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर किसी भी समय बोली कार्यक्रम को स्थगित/निरस्त किया जा सकेगा। **खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिये** अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी।
7. **फर्म द्वारा नीलामी:** यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. लीज अवधि राशि एवं लीज राशि: भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद आवासन मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाई जा सकेगी। **व्यावसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर वार्षिक लीज प्रभारी भूमि विकास दर के अनुरूप क्षेत्रफल की राशि का 5.0 प्रतिशत की दर से देय होगी।** व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।



9. व्यावसायिक भूखण्ड "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त आवासन मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी।
10. **भूखण्ड का पंजीयन:** विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबंधित क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगा।
11. **भूखण्ड पर निर्माण:** क्रय किये गये भूखण्ड लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात् यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुये कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी।
12. स्थानीय बिल्डिंग बाईलॉज 2010 (यथा संशोधित) के अनुरूप निर्माण के नक्शे बनवाये जाकर आवासन मण्डल में नगर नियोजक शाखा में प्रस्तुत करने होंगे। नक्शे अनुमोदनोपरान्त निर्धारित समयावधि में स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण पूर्ण करना होगा।
13. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। नीलामी समय में मोबाईल का प्रयोग निषेध है।
14. **सभी राशियाँ नकद रूप में नहीं ली जाकर केवल बैंकर्स चैक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के द्वारा, जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा, जमा करानी होगी।**
15. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं आवासन मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी।
16. वार्षिक लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा।
17. अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें एवं/अथवा संबंधित आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त के कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क सूत्र


<p style="text-align: center;">उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय बी 2 बाईपास एवं न्यू सांगानेर रोड जंक्शन, मानसरोवर, जयपुर 302020 फोन: 0141-2782772, फैक्स 0141-2783089 ईमेल: dhcjpr2@rhbmail.in</p>	<p style="text-align: center;">आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम् 63/5ए, हीरा पथ के पास, मानसरोवर, जयपुर 302020 फोन: 0141-2782531 मो. 9983309405 ईमेल: rejpr6@rhbmail.in</p>
---	---



R O A D 12.00M. W I D E



S H I P R A P A T H 30.00 M. W I D E



NOTE:-

- 1 SET BACK:-
- EAST = 12.0 M.
 - NORTH = 6.0 M.
 - SOUTH = 6.0 M.
 - WEST = 6.0 M.
- 2 OTHER PERAMETERS AS PER BUILDING BY LAWS 2010 AMENDMENT.



SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT IN SECTOR-7 SHIPRA PATH MANSAROVAR JAIPUR

DRG. NO.	SCALE -
DATE :- 02-05-2016	FILE NO.
DRAWN BY:- S.R. TANWAR	CHECKED-
(SANT SARAN) ASSISTANT ARCHITECT	(B.S.RAJPUROHT) DEPUTY TOWN PLANNER
(MRINAL JOSHI) SENIOR TOWN PLANNER	(ARUN CHATURVEDI) ADD.CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN HOUSING BOARD	